भा. कृ. अनु. प.–भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर रोड, निकट पहूँज डैम, झाँसी– 284003

फा.सं. 3–5 / भंडार फिजि. / जानवरों की नीलामी / 2018–19–20 दिनाँकः 29.07.2019

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी के प्रक्षेत्र में जानवर गाय एवं भैंस (नर / मादा) जिसमें छोटे बड़े पशु सम्मिलित हैं जिनकी की संख्या लगभग 88 है, की नीलामी दिनाँक 26.08.2019 को प्रातः 10.00 बजे सुनिश्चित की गयी है। अतः इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त तिथि में समय से पहुंच कर नीलामी प्रकिया में भाग ले सकते हैं। सम्पूर्ण जानकारी एवं नियम शर्तें संस्थान की वेवसाईट www.igfri.res.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह सूचना सी.पी.पी. पोर्टल https://eprocure.gov.in/epublish/app ID No. 2019_ICAR_463699_1 पर भी उपलब्ध है।

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी का कार्य निदेशक, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा मनोनीत समिति के अधिकारी सम्पन्न करायेंगे। उनका अधिकार होगा कि यदि बोली बोलने वालों की संख्या 03 से कम होगी तो नीलामी अन्य किसी कार्य दिवस में की जायेगी, जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को बड़े जानवर (गाय एवं भैंस) हेतु रूपया 3000.00 की धरोहर राशि बयाना के रूप में नीलामी की बोली बोलने से पूर्व में जमा करनी होगी। बोली बोलने वाले की यह धनराशि, धरोहर राशि के रूप में रोक कर रखी जायेगी तथा धरोहर राशि नीलामी के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी।
3. सफल बोली की पूर्ण धनराशि (100 प्रतिशत) अनुमोदन की सूचना मिलने के तुरन्त बाद जमा करनी होगी अन्यथा उनकी बोली निरस्त मानी जायेगी एवं उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. इच्छुक बोली बोलने वाले उक्त स्थल का निरीक्षण तथा आवश्यक जानकारी हेतु प्रभारी अधिकारी, पशु–धन प्रक्षेत्र से सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी के बाद जानकारी अनभिज्ञता के फलस्वरूप कोई भी दावा नहीं माना जायेगा।
5. सफल बोली (अधिकतम बोली) जिसके नाम से छूटेगी, अगर वह व्यक्ति पशु ले जाने से किसी कारण वश मना करता है तो उसकी जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. जानवरों की नीलामी करते समय किसी को आरक्षित मूल्य नहीं बताया जायेगा। आरक्षित मूल्य नीलामी की समाप्ति के बाद अनुरोध करने पर ही बताया जायेगा।
7. निदेशक / समिति को कोई भी अन्य शर्तें जो यहां पर अपूर्ण हैं को सम्मिलित करने के अधिकार है।
8. सभी बोली बोलने वाले, आधार / वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र की फोटो प्रति के साथ नीलामी की कार्यवाही में समलित हो सकेंगे तथा अग्रिम धनराशि जमा करने के पश्चात नीलामी की शर्तों से संबंधित सूचना पर हस्ताक्षर करेंगे।
9. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रक्षेत्र में प्रवेश और निकास संस्थान के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये गेट पास जारी करने के पश्चात ही सम्भव होगा।
10. बिना कोई कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार इस संस्थान के निदेशक महोदय को होगा।
11. बोली की शुरूआत संस्थान द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम आरक्षित धनराशि के ऊपर ही बोली मान्य होगी।
12. नीलामी के पश्चात नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात उसी समय जानवरों को अपने साथ गेट पास लेकर ले जाना होगा जानवरों को समय पर न ले जाने कि दशा में उनके रखरखाव व खाने का खर्च वसूला जा सकता हैं ।
13. बोली बोलने वाले अपना आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र की मूल व छाया प्रति के साथ लायें।
14. नीलामी की बोली के पश्चात जिसके नाम बोली होगी उसे लिखित में एक पत्र इस आशय से देना होगा कि इस गौवंश पशुओं को अपने निजि एवं कृषि कार्य के प्रयोग के लिये ले जा रहा हूँ।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते निदेशक